मुकदमा नम्बर :– 11/2021
औमप्रकाश आदि बनाम उम्मेद आदि
निर्णय दिनांकः– 05.08.2024.

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 11 /2021 जीसीएमएस नं.– 2021/87

1. ओमप्रकाश पुत्र तुलसाराम उम्र 60 साल
2. रणधीर पुत्र तुलसाराम उम्र 57 साल
3. विजय सिंह पुत्र तुलसाराम उम्र 53 साल नवीरा हंसराम
4. रामवीर पुत्र शिवलाल नवीरा तुलसाराम उम्र 20 साल
5. रामसिंह पुत्र अमीचन्द नवीरा हंसराम उम्र 70 साल
6. रणवीर पुत्र अमीचन्द नवीरा हंसराम उम्र 60 साल समस्त जाति जाट निवासी जैतपुर तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

................वादीगण

बनाम

1. उम्मेद पुत्र श्रीचन्द नवीरा रिछपाल उम्र 45 साल
2. संजय पुत्र श्रीचन्द नवीरा रिछपाल उम्र 42 साल
3. किताबो देवी पत्नी श्रीचन्द उम्र 70 साल
4. नरेन्द्र पुत्र बलबीर बम्र 35 साल
5. भूपेन्द्र पुत्र बलबीर उम्र 35 साल
6. पतासी पत्नी बलबीर उम्र 65 साल
7. रामपाल पुत्र मीर सिंह उम्र 55 साल
8. जगवीर पुत्र मीर सिंह उम्र 52 साल
9. राजपाल पुत्र मीर सिंह उम्र 40 साल
10. सतीश कुमार पुत्र रामेश्वर उम्र 40साल
11. सन्त कुमार पुत्र रामेश्वर उम्र 35 साल
12. रामप्यारी पत्नी रामेश्वर उम्र 70 साल समस्त जाति जाट निवासी जैतपुर तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
13. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

................प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा घोषणात्मक व खाता विभाजन

उपस्थिति –

1. श्री विजयपाल यादव , अधिवक्ता – वादीगण की ओर से ।
2. श्री जगदेवसिंह अधिवक्ता –प्रतिवादीगण की ओर से ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.09.09 12:24:12 IST
Reason: SelfAttested

:: निर्णय ::

दिनांक 05/8/24

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

मुकदमा नम्बर :– 11/2021
औमप्रकाश आदि बनाम उम्मेद आदि
निर्णय दिनांक:– 05.08.2024.

वादीगण की ओर से वाद पत्र रहा कि :–

1. यह कि वाके ग्राम जैतपुर तह0 बुहाना स्थित भूमि हाल ख0 न. 226 रकबा1.40है0 ख0न0 227 रकबा 1.40है0 ख0 न0 228 रकबा 1.10है0 ख0 न0 28 रकबा 0.75है0 ख0 न0 35 रकबा 1.83है0 ख0 न0 553/51 रकबा 0.08 है0 ख0 न0 58 रकबा 0.09है0 कुल किता 7 कुल रकबा 6.95है0 के खातेदार कास्तकार उम्मेद पुत्र श्रीचन्द हिस्सा 1/12, किताबो पत्नी श्रीचन्द हिस्सा 1/12, नरेन्द्र पुत्र बलबीर हिस्सा 1/12, भूपेन्द्र पुत्र बलबीर हिस्सा 1/12, मीर सिंह पुत्र रिछपाल हिस्सा 1/4, रामप्यारी पत्नी रामेश्वर हिस्सा 1/12, सजंय पुत्र श्रीचन्दहिस्सा 1/12, सतीश कुमार पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/12, सन्त कुमार पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/12 संवत 2075 से 2078 दर्ज रिकार्ड है।
2. यह कि वर्तमान ख0 न0 साबिक ख0 न0 43 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा ख0 न0 117 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा ख0 न0 50 रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा से बने है।
3. यह कि हंसराम का बड़ा पुत्र रिछपाल था जो कि कर्ता खान्दान रहा। कर्ता खान्दान होने से विवादीत भूमि अकेले रिछपाल के नाम से ही खातेदारही में दर्ज हो गई। तुलसाराम व अमीचन्दके नाम विवादी भूमि नही हुई। जबकि काबिज कदीम से तुलसाराम व अमीचन्द भी अपने अपने 1/3, 1/3 हिस्से पर काबिज कास्त रहे है। तथा रिछपाल तुलसाराम व अमीचन्द के मरने के बाद भी रिछपाल के वारिसान प्रति0 स0 1 ल0 12 हिस्से 1/3 पर काबिज कास्त है तथा तुलसाराम के वारिस वादी स0 1 ल0 4 अपने 1/3 हिस्से पर काबिज कास्त है।
4. यह कि विवादीत भूमि संयुक्त खातेदारी की है तथा उत्तराधिकार के आधार पर समस्त वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से में आई हुई है परन्तु रिकार्ड में वादीगण का नाम नहीं आया तब वादीगण अपना नाम खातेदारी में दर्ज करवाना चाहते है इसके लिए प्रतिवादीगण को कहा तब प्रतिवादीगण ने रजामन्दी जाहीर की है कि सक्षम न्यायालय में दावा पेश कर खातेदारी घोषित करवा लो। इसलिए यह वाद घोषणात्मक श्रीमान जी के यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।
5. यह कि विवादीत भूमि में वादीगण स0 ल0 4 का 1/3 हिस्सा व वादी स0 5 व 6 का 1/3 हिस्सा व प्रति0 स0 1 ल0 12 का 1/3 हिस्सा है व इसी अनुसार खातेदार कास्तकार घोषित होगें। व इसी अनुसार काबिज कास्त है।
6. यह कि विवादित भूमि का खाता विभाजन पक्षकारान करवाना चाहते है खातेदारी घोषित होने के आधार पर वादी स0 1 ल0 4 के 1/3 हिस्से का तथा वादी स0 5 व 6 के 1/3 हिस्से का तथा शेष 1/3 हिस्से का प्रति0 स0 1 ल0 12 का खाता विभाजन किया जाना आवश्यक है इसलिए यह दावा खाता विभाजन पेश किया जा रहा है।
7. यह कि दावे के लिए आधार विवाद भूमि में वादीगण का नाम अंकित ना रहने तथा अब राजस्व रिकार्ड की नकल लेने व पक्षकारान के द्वारा अपना खाता विभाजन करवाने की सहमति देने से पैदा हुआ। इसलिए यह दावा घोषणात्मक व खाता विभाजन सावधि पेश किया जा रहा है। वैसे भी कानून में खाता विभाजन व घोषणात्मक के लिए कोई मियाद निर्धारित नहीं है।

वादी ने वाद–पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) कि वाके ग्राम जैतपुर तह0 बुहाना स्थित भूमि हाल ख0 न0 [illegible] रकबा 1.40है0 ख0 न0 227 रकबा 1.40है0 ख0 न0 228 रकबा 1.40है0 ख0 न0 28 रकबा 0.75है0 ख0 न0 35 रकबा 1.83है0 ख0 न0 553/51 रकबा 0.08है0 ख0 न0 58 रकबा 0.09है0 कुल किता 7 कुल रकबा 6.95है0 में से वादी स0 1 ल0 4 को 1/3हिस्से व वादी स0 5 व 6 को 1/3 हिस्से तथा प्रति0 स0 1 ल0 12 को 1/3 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.09.09 12:24:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(ख) कि विवादित भूमि के उपरोक्त खसरा नम्बरान के रिकार्ड घोषणात्मक के आधार पर वादी स0 1 ल0 4 के 1/3 हिस्से व वादी स0 5 व 6 के 1/3 हिस्से का खाता विभाजन किया जाकर अलहदा लगान कायम किया जावे।

(ग) कि विवादित भूमि में शेष 1/3 हिस्से का प्रति0 स0 1 ल0 12 को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन किया जाकर अलहदा लगान कायम किया जावे।

वादीगण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2075—78 खाता सं. 21, खसरा गिरदावरी संत्र 2075—78, मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी सं. 2024, जमाबंदी सं. 2024, जमाबंदी सं. 2012, जमाबंदी सं. 2016, मिसल हैकियत सं. 1999 पेश किये।

दावा दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से इकबालिये जवाब प्रस्तुत कर अतिरिक्त उत्तर दिया कि विवाद वर्णित भूमि हमारे हकपूर्वाधिकारी हंसराम की थी परन्तु सं. 1999 से पूर्व ही हंसराम की मृत्यु हो गई थी इसलिए विवादित भूमि रिछपाल पुत्र हंसराम जो कर्ताखानदान होने से उसके नाम आ गई। शेष उसें दो भाई तुलसाराम व अमीचंद के नाम दर्ज नही हुई। बल्कि तुलसाराम व अमीचन्द का भी विवादित भूमि में बराबर—बराबर हिस्सा है। इसलिए विवादित भूमि में 1/3 हिस्सा तुलसाराम के वारिसान वादी संख्या 1 लगायत 4 व 1/3 हिस्सा भूमि वादी संख्या 5 , 6 की बराबर—बराबर है। और इसी अनुसार काबिज कास्त है। इसलिए हिस्सा 1/3, 1/3 भाग भूमि का खाता खातेदार कास्तकार धोषित किया जाकर कब्जे कास्त के अनुसार खाता विभाजन किया जावे।

विवादित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 की भूमि 1/3 हिस्से का खाता विभाजन किया जाकर अलहदा लगान कायम किया जावे। अतः जबाव दावा प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर उन्हे खातेदार धोषित करते हुए खाता विभाजन किया जावे। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.11.2022 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 291 दिनांक 09.07.2024 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1909 दिनांक 29.07.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों एवं प्रतिवादीगण के इकबालिये जवाब दावा, प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवजनों, सहमति से प्राप्त कुर्रे का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रतिवादीगण ने वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर वाद वर्णित भूमि में अपना भी खाता विभाजन अलग से किये जाने का अनुतोष चाहा है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] संवत् 2075—2078 वाके ग्राम जैतपुर स्थित भूमि हाल खाता संख्या 21 में [illegible] दर्ज [illegible] का कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.09.09 12:24:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

मुकदमा नम्बर :– 11/2021
औमप्रकाश आदि बनाम उम्मेद आदि
निर्णय दिनांकः– 05.08.2024.

– :: आदेश ::–

''न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम जैतपुर तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 226 रकबा 1.40 है0, खसरा नम्बर 227 रकबा 1.40 है0, खसरा नम्बर 228 रकबा 1.40 है0, खसरा नम्बर 28 रकबा 0.75 है0, खसरा नम्बर 35 रकबा 1.83 है0, खसरा नम्बर 553/51 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 58 रकबा 0.09 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 6.95 है0 भूमि में वादी सख्या 1 लगायत 4 को 1/3 हिस्से, वादी स0 5 व 6 को 1/3 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित कर उक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 का खाता विभाजन किये जाने का आदेश दिनांक 14.11.2022 को प्राथमिक डिक्री कर दिया गया था। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 291 दिनांक 09.07.2024 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1909 दिनांक 29.07.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।''

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

यह निर्णय आज दिनांक 05/8/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.09.09 12:24:12 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 11 /2021 जीसीएमएस नं.– 2021/87

औमप्रकाश आदि **बनाम** उम्मेद आदि

दावा –धोषणात्मक एवं खाता विभाजन

वादीगण की ओर से श्री **विजयपाल यादव एडवोकेट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी सं. 1, लगायत 12 की ओर से **श्री जगदेवसिंह यादव एडवोकेट की** उपस्थित इस वाद को **हेमन्त कुमार उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और अंतिम डिक्री दी जाती हैं कि–

"न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम जैतपुर तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 226 रकबा 1.40 है0, खसरा नम्बर 227 रकबा 1.40 है0, खसरा नम्बर 228 रकबा 1.40 है0, खसरा नम्बर 28 रकबा 0.75 है0, खसरा नम्बर 35 रकबा 1.83 है0, खसरा नम्बर 553/51 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 58 रकबा 0.09 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 6.95 है0 भूमि में वादी सख्या 1 लगायत 4 को 1/3 हिस्से, वादी स0 5 व 6 को 1/3 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित कर उक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 का खाता विभाजन किये जाने का आदेश दिनांक 14.11.2022 को प्राथमिक डिक्री कर दिया गया था। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 291 दिनांक 09.07.2024 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1909 दिनांक 29.07.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।"

यह निर्णय आज दिनांक 05/8/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.09.09 12:24:12 IST
Reason: SelfAttested

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)